ट्रांस्क्रिप्ट

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की कॉन्फ्रेंस कॉल

कार्यक्रम की तारीख	:	9 नवंबर, 2011
कार्यक्रम की अवधि	:	49 मिनट 30 सेकंड

प्रजेंटेशन सत्र

मॉडरेटर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की इनवेस्टर कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आप सभी का स्वागत है। हम यहां पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की दूसरी तिमाही और अर्द्ध वार्षिक परिणामों की जानकारी देने के लिए एकत्र हुए हैं। मैं डायस पर मौजूद गणमान्य लोगों का परिचय करवाना चाहता हूं। बीच में हैं श्री सतनाम सिंह, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। श्री सिंह के दाईं ओर हैं श्री एम. के. गोयल, निदेशक (वाणिज्यिक), उनके दाईं ओर हैं श्री आर. नागराजन, निदेशक (वित्त)। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के बाईं ओर हैं श्री राजीव शर्मा, निदेशक (परियोजना)। उनके दाईं ओर हैं श्री एस. सी. गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक। हमारे बीच शीघ्र ही उपस्थित होने वाले हैं श्री देवेंदर सिंह और श्री के. एम. साहनी। अब मैं श्री सतनाम सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और कंपनी के निष्पादन पर प्रकाश डालें, तत्पश्चात पीएफसी दल के द्वारा एक प्रजेंटेशन दिया जाएगा।

सतनाम सिंह नमस्कार, और इस कॉन्फ्रेंस के प्रति आप सभी के रुझान के लिए

शुक्रिया। मैंने प्रेस के लोगों से निश्चित रूप से इस बात का उल्लेख किया कि हम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस और निवेशकों की बैठक क्यों आयोजित कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि एफपीओ जो मई 2011 में लाया गया, में आप लोगों की प्रतिभागिता के लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित किया जा सके। अहमदाबाद शहर और गुजरात राज्य का हमारे एफपीओ में सर्वोच्च योगदान था। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मेरा मानना है कि मैं अपनी बात ऐसे दो प्रमुख मुद्दों से शुरू करूं जो भारतीय विद्युत क्षेत्र में प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है और हो सकता है कि निवेशकों के मन में उनको लेकर कुछ डर अथवा चिंताएं हैं।

पहला मुद्दा तो वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का हानि स्तर है और दूसरा मुद्दा कोयले की कमी तथा कोयले की तेजी से बढ़ रही कीमतों से संबंधित है। मुद्दों और समस्याओं को अकेले में नहीं देखा जा सकता है। मुद्दों को सरकार अथवा इसके लिए जिम्मेदार संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के साथ साथ देखा जाना चाहिए। ऐसा ही पहले मामले में भी है, मैं आपको इस बात की जानकारी दूंगा कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे शुरू किए गए हैं, सरकार ने क्या प्रयास शुरू किए हैं और फिर इन प्रयासों के प्रभाव को देखा जाए और इस बात को लेकर निश्चिंत रहें कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्या वह सही होगा या सही नहीं होगा।

इस दिशा में किया गया पहला प्रयास विद्युत मंत्री का जुलाई, 2011 में आयोजित किया गया सम्मेलन है, जिसमें उपस्थित सभी विद्युत मंत्रियों ने केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे और योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया की उपस्थिति में एक मत से 14 संकल्प पारित किए गए। ऐसे गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किसी राज्य के विद्युत मंत्री द्वारा पारित किए गए किसी संकल्प को कोई भी व्यक्ति महज औपचारिकता अथवा सामान्य बात नहीं कह सकता है। हमने विभिन्न राज्यों से इन 14 संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिए संगत राज्य द्वारा तैयार की गई कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया है। इस संबंध में तीन राज्यों ने हमें जानकारी दी है कि वे इन संकल्पों के कार्यान्वयन के बारे में क्या

कार्रवाई करने वाले हैं, अन्य राज्यों के साथ हम अनुवर्ती कार्रवाई के लिए निरंतर संपर्क में हैं। परंतु इसी बीच बहुत से निवेशकों और हमारे जैसे सभी पणधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों के कारण विद्युत मंत्रालय, विद्युत क्षेत्र के वित्त पोषण व्यवसाय से जुड़ी अन्य कंपनियों, राज्य सरकारों आदि ने स्वीकार्य किया है कि वे अपने राज्य में विद्युत व्यवसाय के संचालन हेतु अपनाए जाने वाले ढांचे की मौजूदा प्रणाली को लंबे समय तक जारी नहीं रख सकते हैं। मुझे आपको इस बात की जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि हिमाचल और झारखंड राज्यों ने जुलाई में टैरिफ में वृद्धि की; दिल्ली ने अगस्त में; राजस्थान और गुजरात ने सितंबर में; महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर ने अक्टूबर में और जैसा हम सभी ने सुना है कि तमिलनाडु भी निकट भविष्य में अपने टैरिफ में वृद्धि करेगा। अब टैरिफ में वृद्धि और कहीं भी उसकी रेंज 3% से 4% से लेकर 22% से 23% के बीच है। इस प्रकार से राजस्व में होने वाली वृद्धि से निश्चित रूप से वितरण कंपनियों की राजस्व वसूली में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार यह सरकार द्वारा किया गया पहला प्रयास है। विद्युत मंत्रालय और हमने पहले ही यह निश्चय किया है कि हम दीर्घकालीन अवधि के साथ साथ अल्पकालिक अवधि दोनों के लिए एक कॉमन रेटिंग मकेनिज्म का विकास करेंगे। वर्तमान में पीएफसी, आरईसी और बैंक ही प्रमुख रूप से विद्युत क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। पीएफसी अपनी स्वयं की कार्यप्रणाली का अनुपालन कर रहा था, आरईसी भी कमोबेश वैसे ही कार्यप्रणाली अपना रहा था। परंतु बैंकों की कार्यप्रणाली अलग थी, ज्यादातर बैंक अन्य किसी संरचना की बजाय केवल राज्य सरकार की गारंटी पर निर्भर थे, इसलिए हम अब दोनों प्रकार की कार्यप्रणालियों के आधार पर कार्य कर रहे हैं। एक दीर्घकालीन अवधि के लिए है, जिसके बारे में मैंने जैसा उल्लेख किया है वह सभी के लिए समान है और दूसरी अल्पकालीन अवधि के लिए है जो हमारे लिए चिंता का विषय है क्योंकि कोई भी बैंक वितरण कंपनियों को ऋण नहीं दे रहे हैं। हम केवल सीमित मात्रा में ही उन्हें ऋण देते रहे हैं, हमने भी थोड़े समय से उन्हें ऋण देना बंद कर दिया है क्योंकि इससे संबंधित मानदण्डों को अंतिम रूप दिया जाना लंबित है। इसलिए मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि निवेशकों और अन्य पणधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों

के कारण सरकार और हम एक निश्चित ढांचे का अनुपालन करने के लिए जागरूक हो गए हैं और यदि डिस्कॉम को अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण दोनों के लिए कॉमन रेटिंग मेकेनिज्म का अनुपालन किया जाता है तो मुझे विश्वास है कि इसका प्रभाव अलग होगा और इस क्षेत्र को वैसे दिन नहीं देखने होंगे जैसे दौर से वह अभी गुजर रहा है।

अन्य बड़ा प्रयास पुनर्गठित एपीडीआरपी योजना का कार्यान्वयन है, जिसका उद्देश्य वितरण हानियों को 15% से नीचे लाना है। अब किसी के भी मन में यह प्रश्न आ सकता है कि कुछ समय से इस योजना के बारे में काफी चर्चा की जा रही है, परंतु इसके क्या परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। अब तक 64 कस्बों को एकीकृत किया गया है और यहां एक बार फिर मैं गुजरात को धन्यवाद देना चाहूंगा। गुजरात इस योजना के कार्यान्वयन के क्षेत्र में भी अग्रणी है। यहां सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के आधार पर 64 कस्बों को पहले ही एकीकृत कर लिया गया है। मेरा मानना है कि जब हम यहां एफपीओ के लिए यहां आए थे तब आप सभी ने यह अवश्य सुना होगा कि भारत में पहली बार विद्युत हानियों को कम करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली का प्रयोग किया गया। पिछले 50 वर्षों के दौरान हमने कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया। केवल इस योजना के अंतर्गत ही हम इस प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं और इसके परिणाम केवल तभी प्राप्त होंगे जब सभी राज्य इसका कार्यान्वयन कर देंगे, परंतु गुजरात इस क्षेत्र में अग्रणी राज्य है, इसके पश्चात बंगाल का नंबर है। 64 कस्बों को पहले ही एकीकृत कर दिया गया है। मैं आप सभी को यह संदेश देना चाहता हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के आधार पर जब यह पता चल जाता है कि हानियां किस विशेष क्षेत्र में हैं तो हम प्रशासनिक उपायों के माध्यम से उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं अन्यथा प्रणाली में सुधार के लिए प्रयास कर सकते हैं। अत: इस दिशा में तत्काल कुछ न कुछ परिवर्तन होने वाले हैं और तत्पश्चात प्रणाली उन्नयन किया जाएगा जिससे हानि स्तर और अधिक कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्री शुंगलू, भूतपूर्व सीएजी की अध्यक्षता में वितरण क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता पर नजर रखने के लिए लगभग एक वर्ष पहले एक समिति गठित कर दी थी। मैं भी उस

समिति का एक सदस्य हूं। हमने पिछले वर्ष बहुत अधिक कार्य किया है। हमने वर्ष 2009-10 तक के लिए डिस्कॉम के लेखाओं को अद्यतन किया है। अत: श्री शुंगलू के साथ हुई मेरे चर्चा के आधार पर नवंबर माह के अंत तक हम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे, जिसके आधार पर सरकार क्रियान्वित की जाने वाली सिफारिशों के संदर्भ में सुझाव आमंत्रित करेगी। इस प्रकार यह सरकार द्वारा किया गया दूसरा प्रयास

विद्युत अधिनियम में टैरिफ के स्वत: एवं स्वैच्छिक रूप से संशोधन का प्रावधान है फिर भी संगत राज्यों ने नियामक के साथ एआरआर फाइल नहीं किया है। तथापि राज्यों में नियामक ने अधिनियम के अंतर्गत उन्हें दी गई शक्तियों का प्रयोग नहीं किया है। अपीलीय अधिकरण के माध्यम से विद्युत मंत्रालय ने इन राज्यों में नियामकों से एक प्रश्न पूछा है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया है और अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियामकों को दिशानिर्देश देने के लिए अपीलीय अधिकरण से मांग की है। इस प्रकार इसका भी कोई समाधान शीघ्र ही आ सकता है। कुछ नियामक टैरिफ में वृद्धि करना प्रारंभ कर सकते हैं और इस प्रकार आने वाले दिनों में डिस्कॉम के राजस्व में वृद्धि होगी। इसके अलावा एक अन्य योजना- राष्ट्रीय विद्युत निधि, जो कि एक सब्सिडी आधारित योजना है, के अंतर्गत ऐसे विभिन्न कस्बों में हानियों को कम करने के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 3% से 7% सब्सिडी की रेंज निश्चित की गई है जो आर-एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं। इसका आशय यह है कि सरकार प्रणाली उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, यह किसी क्षेत्र विशेष में सुधार की स्थिति के आधार पर 3% से 7% की छूट युक्त लागत के रूप में होगी।

इस प्रकार यही कुछ ऐसे प्रयास हैं जिन पर नजर रखने की आवश्यकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या डिस्कॉम इन प्रयासों के साथ भी हानियों को बरकरार रखेगा अथवा या उनकी स्थिति में कुछ सुधार होगा? मैं अपनी ओर से आप सभी को यह जानकारी देना चाहता हूं कि हम पिछले 25 वर्ष से विद्युत क्षेत्र को ऋण मुहैया कराते रहे हैं और हमारा कभी भी कोई एनपीए नहीं रहा। वास्तव में अभी तक हमारा

एनपीए केवल बिहार हाइड्रोपावर कॉर्पोरेशन नामक एक संगठन के मामले में ही है, इसके संदर्भ में हमने इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में पूरी राशि वसूल कर ली है। अब तक इस क्षेत्र में हमारे पास कोई भी गैर निष्पादन परिसंपत्तियां नहीं हैं बावजूद इसके कि डिस्कॉम को लगातार हानियां हो रही थीं। इस प्रकार यद्यपि यह चिंता का विषय है परंतु यह कोई ऐसी चिंता नहीं है जिससे निवेशकों के मन में किसी प्रकार की असहजता उत्पन्न हो क्योंकि सरकार इस मुद्दे को लेकर भलीभांति जागरूक है और उसने इस क्षेत्र में बहुत से प्रयास शुरू किए हैं।

अगला मुद्दा कोयले से संबंधित है। मुझे नहीं पता कि आप सभी को इसकी जानकारी है या नहीं। वित्त मंत्री ने न्यूयार्क में आयोजित एक कार्यक्रम में यह घोषणा की थी कि अब उन्होंने कोयला खदानों के मामले में गो और नो गो क्षेत्र का निर्धारण किया है। मैं भी उस कार्यक्रम में भाग ले रहा था। अब इस मुद्दे का समाधान कर लिया गया है। यह सही है कि हमें इस आशय की औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है परंतु कुछ परियोजनाओं के लिए हमने निश्चित रूप से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर ली है। इसलिए इस निर्णय के निकट भविष्य में किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री कार्यालय में कोयला संबंधी मुद्दे के समाधान हेतु कई बार बैठक आयोजित करने का प्रयास किया है परंतु किसी न किसी कारण से बैठक आयोजित नहीं की जा सकी, परंतु ऐसा अनुमान है कि अपेक्षित बैठक नवंबर के उत्तार्द्ध में की जाएगी। इस प्रकार कोयले की आपूर्ति के बारे में कुछ न कुछ दिशानिर्देशों के साथ कोयला संबंधी मुद्दा उठाया जाएगा। परंतु मैं आप सभी को यह संदेश देना चाहता हूं कि इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राधिकारियों के स्तर पर भी उठाया जा रहा है और जब किसी मुद्दे पर इस प्रकार ध्यान केन्द्रित किया जाता है तो उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। हमारी ओर से हमने कोल इंडिया के साथ इस मुद्दे के साथ उठाया है और उनसे इस बात की जानकारी मांगी है कि हमारी उन परियोजनाओं के बारे में कोयला आपूर्ति की स्थिति क्या होगी जिन्हें हमने कोयला आपूर्ति के संदर्भ में वित्तीय सहायता प्रदान की है। कोल इंडिया ने हमें सूचित किया है कि मार्च 2009 तक स्थापित की गई परियोजनाओं के मामले में कोयला आपूर्ति को लेकर कोई समस्या

नहीं होगी। ऐसी परियोजनाएं जो 1 अप्रैल, 2011 से आगे की स्वीकृत की गई हैं, के लिए हमने ईंधन आपूर्ति करार के साथ-साथ विद्युत खरीद करार के संदर्भ में संशोधित शर्तों के आधार पर परियोजनाओं को स्वीकृति देना प्रारंभ किया है, जिसका आशय यह है कि जब तक कि कोई विकासकर्ता ये दोनों करार नहीं करता है, तब तक हम उसे धनराशि का संवितरण नहीं करेंगे, इस प्रकार ऋण राशि की सीमा तक जोखिम दूर हो गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने यह महसूस किया कि पिछले दो से ढाई वर्ष में ऐसे करारों के निष्पादन में बहुत समय लगता है और लोग कई बार इनका निष्पादन नहीं कर पाते थे। इस प्रकार हमने इस क्षेत्र में पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। अब एक सहज प्रश्न यह उठता है कि मार्च, 2009 से मार्च, 2011 के बीच स्वीकृत की गई परियोजनाओं का क्या होगा? हां, हमारी परियोजनाओं के लिए जोखिम है और राहत की बात यह है कि हमारे पास ज्यादातर ऐसी परियोजनाएं हैं जो तत्काल स्थापित की जाने वाली हैं और वे राज्य क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं हैं तथा राज्य क्षेत्र को कोल इंडिया द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है। परंतु इसका आशय यह नहीं है कि हमारे पास ऐसी अन्य परियोजनाएं कोई भी नहीं है जिनको लेकर हमें चिंता है। नहीं अन्य परियोजनाओं के लिए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस मुद्दे को प्रधानमंत्री कार्यालय के स्तर तक भी उठाया गया है। हमने विद्युत मंत्रालय को भी लिखा है और अनुरोध किया है कि कोयला मंत्रालय के साथ इस मुद्दे को उठाया जाए और संपर्क स्थापित हो जाने पर वह सरकार की प्रतिबद्धता हो जाएगी। इसके आधार पर ही विकासकर्ता परियोजना की रूपरेखा तैयार करेगा और ऋणदाता उसे ऋण प्रदान करने के लिए सहमति देगा। इसके पश्चात यदि सरकार यह कहती है कि हम अपनी प्रतिबद्धता को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो इसमें किसकी गलती है? इस प्रकार आशा है कि इस मुद्दे का भी शीघ्र ही समाधान किया जाएगा।

अब मैं पीएफसी से संबंधित विकास पर चर्चा करूंगा ये विद्युत क्षेत्र में होने वाले सामान्य विकास से संबंधित है। यह खुशी की बात है कि हमें अवसंरचना बॉड, कर मुक्त बॉड, इसीबी आदि जारी करने आदि की

अनुमति मिल गई है। 6900 करोड़ रूपए की अवसंरचना बॉड, 500 करोड़ रूपए की कर मुक्त बॉड और 1 बिलियन डॉलर के ईसीबी जारी करने की अनुमति मिली है। ये सभी बॉण्ड हमें मार्च 2012 से पहले जारी करने होंगे। इससे हमें अपनी ऋण लागत को और अधिक कम करने में सहायता मिलेगी। अल्ट्रामेगा पावर परियोजनाएं एक ऐसा अन्य क्षेत्र है जिसके लिए हम नोडल एजेंसी हैं, इस संबंध में उड़ीसा यूएमपीटी के मामले में भी हमने नो-गो और गो क्षेत्र के मुद्दे का समाधान हो जाने के पश्चात काफी प्रगति की है। हम आरएफक्यू के मूल्यांकन की प्रक्रिया में हैं। परियोजना के लिए 20 बोलीदाताओं ने अपनी बोलियां प्रस्तुत की थीं। हमने कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे जिसमें से 18 बोलीदाताओं ने अपने स्पष्टीकरण दिए हैं और हम नवंबर के अंत तक आरएफपी जारी करने की स्थिति में हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के मामले में हमें नो गो और गो क्षेत्र से जुड़े मुद्दे के संदर्भ में औपचारिक सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए हम उस क्षेत्र में कोई कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। इसी प्रकार का कार्य स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के लिए भी हमें सौंपा गया है। इस क्षेत्र में भी हम काफी आगे हैं और दो अतिरिक्त लाइनों की संविदा का अधिनिर्णय किया जा रहा है।

जैसा मैंने पहले भी आप सभी को बताया है कि पुनर्गठित एपीडीआरपी योजना भी एक महत्वपूर्ण योजना है और हम इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं आपको विस्तृत परिदृश्य से अवगत कराना चाहता हूं हमने इस योजना के अंतर्गत संचित रूप से लगभग 25000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है और लगभग 4500 करोड़ रूपए का ऋण संवितरित किया है। 1400 कस्बों में से 1200 कस्बों की घेराबंदी कर दी गई है। 1400 कस्बों में से 295 कस्बों में पहले से ही आधार लाइन डेटा स्थापित कर दिया गया है। आधार लाइन डेटा विद्युत हानियों का मूल्यांकन करने, एटी और सी हानियों का अनुमान लगाने, अनुमानित समय, हानि को दूर करने में बकाया राशि का पता करने में सहायक है। परंतु सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर यदि कोई कंपनी हानि का सही अनुमान लगाने में सफल होती है तो इसका सही आंकड़ा क्या है, इस

क्षेत्र में 295 कस्बों में ऐसी सुविधा स्थापित कर ली गई है। मैंने पहले भी आपको सूचित किया है कि अब तक 64 कस्बों को एकीकृत किया गया है। कुछ दिन पहले हमने न्युक्लियर पावर कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष है कि शुरुआत की है, हमने न्युक्लियर पावर कॉर्पोरेशन को 8021 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। यह ऋण उन्हें गुजरात में परियोजना की स्थापना के लिए स्वीकृत किया गया है। हालांकि ब्याज लागत आदि के संबंध में निबंधन और शर्तों का निर्धारण अभी किया जाना है। पहले भी मैंने आपको बताया है कि हम पीएफसी ग्रीन एनर्जी और पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज नामक दो नई सहायक कंपनियां बना रहे हैं। हमने दोनों कंपनियों के लिए व्यापार शुरू करने विषयक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि इन कंपनियों की विस्तृत प्रगति के बारे में जानकारी आपको एक तिमाही या उसके बाद दी जाएगी। हमारी एक परामर्श कंपनी भी है। परामर्श व्यवसाय के क्षेत्र में हम बेहतर कार्य निष्पादन कर रहे हैं। सामान्यत: हम परामर्श व्यवसाय से हर वर्ष अपने राजस्व को दोगुना कर रहे हैं।

आज अहमदाबाद में हमारे बोर्ड की भी बैठक थी और मुझे एक बार पुन: आपको यह सूचित करते हुए हर्ष है कि इक्विटी निवेश का अवसर, जिसके बारे में हम लंबे समय से चर्चा करते आ रहे हैं, पर आज की बोर्ड बैठक में इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है कि इसके लिए किसी भारतीय भागीदार का चयन किया जाए। हालांकि हमें विद्युत क्षेत्र के निधियन के बारे में विशेषज्ञता प्राप्त है। हम निधियों के प्रबंधन के क्षेत्र में दक्ष नहीं हैं। अत: यदि हम पावर इक्विटी फंड जारी करना चाहते हैं, तो हमें किसी ऐसे अनुभवी भागीदार की आवश्यकता होगी जो हमें निधि प्रबंधन के क्षेत्र में सहायता प्रदान कर सके। इसीलिए हमने यह निश्चय किया है कि हम बोलियां अथवा प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए निविदा प्रकाशित करेंगे। इसके आधार पर हम निधि प्रबंधन के लिए एक भागीदारी के रूप में किसी भारतीय कंपनी का चयन करेंगे। इसके पश्चात हम एक न्यास और एएमसी का गठन करेंगे तथा अधिकतम 1 बिलियन डालर तक का विद्युत इक्विटी फंड सृजित करेंगे,

परंतु इसकी शुरुआत 300 मिलियन डालर या समतुल्य राशि से की जा सकती है। इस प्रकार इस प्रक्रिया के अंतर्गत भागीदार के चयन में 3-6 माह का समय लगेगा

जहां तक बैंकिंग का प्रश्न है, तो हम एक परामर्शदाता नियुक्त करने की प्रक्रिया में हैं, जिससे हम यह सलाह लेंगे कि क्या हमें आगे चलकर अपने आपको किसी बैंक के रूप में परिवर्तित करना चाहिए या किसी बैंक की हिस्सेदारी अधिग्रहीत करना चाहिए अथवा हमें एनबीएफसी के रूप में ही बने रहना चाहिए। यह सब केवल परामर्शदाता की नियुक्ति के पश्चात ही किया जाएगा, लेकिन तब तक यह प्रक्रियाधीन ही रहेगा।

अब हम वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के साथ साथ छमाही परिणामों के आंकड़ों की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम 30 सितंबर की स्थिति के अनुसार हमारा व्यवसाय 200000 करोड़ रूपए के आंकड़े को पार कर गया है, हमारा परिसंपत्ति बही मूल्य 1,10000 करोड़ रूपए, देनदारियां, ऋण 90000 करोड़ रूपए है, इसका आशय यह है कि कंपनी का कुल व्यवाय 2,00000 करोड़ रूपए हुआ। इस अवधि के दौरान हमारी ऋण परिसंपत्ति में 26% की वृद्धि हुई है और यह 87906 करोड़ रूपए से बढ़कर 1,10421 करोड़ रूपए हो गई है। तिमाही के लिए कुल आय 24% अधिक है। छमाही आधार पर इसमें 22% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार यह परिसंपत्ति वृद्धि के अनुरूप है। तिमाही के लिए निवल ब्याज आय 20% और छमाही के लिए 18% अधिक है। यह भी हमारी परिसंपत्ति के अनुरूप है। जहां तक कर पश्चात लाभ का संबंध है, तो जैसा आप सभी को ज्ञात है कि हमारे पास लगभग 1100 मिलियन डालर या उसके समतुल्य का ऋण है, परंतु हमने अपनी नीति के अनुसार ऋण की तारीख को उसे हैज नहीं किया है क्योंकि हम यह देखना चाहते हैं कि इससे हमें लाभ होगा या हानि। उस समय सितंबर के अंतिम सप्ताह में चूंकि रुपए के मूल्य में 10% की गिरावट हुई थी अत: इस तिमाही में हमने आंशिक हानि दर्शाई है जिसके कारण हमारे कर पश्चात लाभ में तिमाही के लिए 40% और छमाही के लिए 18% की कमी दर्शाई गई है। हालांकि यदि हम इस आंशिक हानि को हटा दें तो हमारे तुलनात्मक लाभ में तिमाही के लिए 25% और छमाही के लिए

30% की वृद्धि हुई है। इसका आशय यह नहीं है कि हमारा लाभ कम हुआ है; यह केवल आंशिक हानि की इस ढंग से गणना के कारण हुआ है, वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है। यह कमी हमने नहीं की है परंतु इसका प्रतिनिधित्व इसी तरीके से करना है, इसीलिए यह इस प्रकार से दर्शाया गया है। तिमाही के लिए हमारे यील्ड में तुलनात्मक रूप से 11.21% से 11.29% और छमाही के लिए 11.08% से 11.19% की वृद्धि हुई है। जहां तक निधियों की लागत का संबंध है, तो जैसा आप सभी जानते हैं कि आरबीआई कभी भी ब्याज दर में वृद्धि करता रहा है इसलिए तिमाही के लिए इसमें 8.60% से 9.28% और छमाही के लिए 8.45% से 8.93% की वृद्धि हुई है। तदनुसार हमारे विस्तार में भी सामान्यत: 2.5% से 2.6% की तुलना में 2.2% से 2.26% की कमी हुई है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों का पूरे वर्ष के आधार पर मैक्रो स्तर से पुनर्मूल्यांकन किया है। परंतु चूंकि आरबीआई कभी भी ब्याज दरों में वृद्धि करता रहा है अत: दरें बढ़ने से हमारी देनदारियों की लागत भी उसी दिन बढ़ जाती है जिस दिन आरबीआई दरों में वृद्धि की घोषणा करता है। जबकि परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्य निर्धारण हम उस आधार पर नहीं करते हैं। परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन ऐसी संरचना के आधार पर किया जाता है जो तिमाही के अनुसार निर्धारति होती है। इस प्रकार जब कभी भी आरबीआई दरें बढ़ाना बंद कर देगा, हमारे विस्तार में भी उसी प्रकार 2.5% से 2.6% की सामान्य कमी हो जाएगी। पिछले वर्ष की तुलना में हमारी स्वीकृतियां थोड़ा कम हैं, तथापि हमारा लक्ष्य गत वर्ष की तुलना में स्वत: ही कम हो गया। लगभग 45000 करोड़ रूपए की तुलना में हमने पहले ही 26000 करोड़ रूपए का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। आज भी हमने अपनी बोर्ड बैठक में कुछ स्वीकृतियां दी हैं। इनको मिलाकर यह आंकड़ा और अधिक हो जाएगा। अत: यह कोई चिंता का विषय नहीं है। बकाया स्वीकृतियां, जो वास्तविक रूप से यह संकेत देती हैं कि भविष्य में हमारी वृद्धि दर कैसी रहने वाली है, वह लगभग 1,79000 करोड़ रूपए रहने की संभावना है। इस प्रकार 35000 करोड़ रूपए के संवितरण के साथ यह एक बहुत अच्छा स्तर है, जिसका आशय यह है कि हम अपनी वृद्धि दर आसानी से 20% से 45% तक सुनिश्चित कर

सकते हैं। आंशिक विदेशी विनिमय हानि पर विचार करने के पश्चात औसत निवल मूल्य पर रिटर्न बहुत कम होगा। परंतु यदि हम इसको ध्यान में नहीं रखते हैं तो यह तुलनात्मक रेंज में रहेगा। इस सब के बावजूद भी अंतिम रूप से हमारी पूंजी पर्याप्तता 15% की तुलना में 18.22% है। यह इस बात का संकेत है कि आगे क्या संभावनाएं हैं। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।

मॉडरेटर अब मैं निष्पादन संबंधी विशेषताओं पर प्रस्तुतीकरण के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा।

सतनाम सिंह नहीं, मेरा मानना है कि मैंने बहुत सी बातों को शामिल कर लिया है, यदि आप प्रजेंटेशन देखना चाहते हैं तो हमें उसे चला सकते हैं अन्यथा हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। आप क्या चाहते हैं? प्रजेंटेशन चलाया जाए या प्रश्नोत्तर दौर शुरू किया जाए?

स्रोता प्रश्नोत्तर दौर

सतनाम सिंह प्रश्नोत्तर दौर ? ठीक है।

प्रश्नोत्तर सत्र

सतनाम सिंह इस प्रकार पहला प्रश्न

मॉडरेटर जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वे अपना हाथ ऊपर करें।

वक्ता 1 महोदय, जैसा आपने ठीक ही उल्लेख किया है कि कोयले की खरीद एक बड़ी समस्या है और यहां तक कि निजी क्षेत्र के विद्युत उत्पादकों के लिए पीएलएफ मुश्किल से 70% से 75% है, इस प्रकार के परिदृश्य के मामले में जब हम नई परियोजनाओं का वित्त पोषण करते हैं, तो आपको यह आश्वासन कैसे प्राप्त होता है कि कोयले की समय पर अधिप्राप्ति होती रहेगी?

सतनाम सिंह नहीं, नई परियोजनाओं के लिए जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि

अप्रैल 2011 के बाद से हमने इसे एक पूर्व अर्हता के रूप में लागू किया है और यह शर्त लागू की है कि हमसे कर्ज लेने से पहले विकासकर्ता को कोयले की आवश्यक मात्रा के लिए ईंधन करार करना आवश्यक है। इस प्रकार हम अपनी धनराशि, आपकी धनराशि को अप्रैल 2011 के पश्चात किसी भी जोखिम पर नहीं रखते हैं परंतु अप्रैल 2011 तक हम विकासकर्ताओं को पहले संवितरण की तारीख से 12 माह के भीतर एसएफए/पीपीए की खरीद के लिए अनुमति प्रदान किया करते थे। परंतु हम उन्हें इसकी अनुमति प्रदान नहीं करते हैं।

वक्ता 1 परंतु ऐसे मामले में क्या आपको ऐसा लगता है कि उनकी परियोजनाओं का कार्यान्वयन अपेक्षाकृत धीमी गति से होगा क्योंकि उन्हें ईंधन संपर्क के लिए प्रयास करने होंगे?

सतनाम सिंह हां, निश्चित ही, परंतु प्रश्न यह उठता है कि हम तो विद्युत क्षेत्र में एक बड़ी कंपनी हैं, अब यदि भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआई बैंक पूर्व में अण्डरराइट की गई परियोजनाओं के लिए इस शर्त के बिना ऋण देने के लिए हमारे पास आते हैं तो हम ऐसी परियोजनाओं पर लंबे समय तक विचार नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये अतिरिक्त शर्तें लागू की हैं और उनसे आग्रह किया है कि वे अपनी शर्तों में परिवर्तन करें। इस प्रकार यदि हम बाजार में अग्रणी कंपनी होने के नाते कोई दिशानिर्देश देंगे तो उसे लागू किया जाना चाहिए। अब यदि सरकार इस आशय का कोई दिशानिर्देश जारी करती है कि इस संपर्क का आशय ऐसे संपर्क से है कि कोल इंडिया उसके पश्चात उसके पश्चात कोयले की आपूर्ति नहीं करेगा, तो परिदृश्य अलग होगा परंतु तब तक मेरा मानना है कि हमें इस ढांचे को जारी रखने की आवश्यकता है।

वक्ता 1 महोदय, हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है और वे अपनी देयताओं का भुगतान समय पर नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार क्या उपर्युक्त राज्य विद्युत बोर्ड के साथ आपको भी कोई समस्या है या इसकी वस्तुस्थिति क्या है?

सतनाम सिंह ठीक है, सर्वप्रथम यह कि हमारी ऋण बही का 64% भाग राज्य विद्युत बोर्ड और राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियों के लिए है, 27% केन्द्र और संयुक्त क्षेत्र के लिए तथा 9% निजी क्षेत्र के लिए है। यह 24% भाग जो हमने राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियों को ऋण के रूप में दिया है, के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हम इन्हें पिछले 25 वर्ष से ऋण देते आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि बिहार हाइड्रोपावर कॉर्पोरेशन को छोड़कर हमारा कोई एनपीए नहीं था, इसके पीछे भी कुछ अलग कारण थे और पिछले 25 वर्ष में कभी भी हमारा कोई एनपीए नहीं रहा। हमारी वसूली दर सामान्यत: 99% या उससे अधिक रही है। यहां तक कि अक्टूबर की देयताएं भी प्राप्त हो गई थीं। इस प्रकार हमारा कोई एनपीए नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश ने कुछ राशि का भुगतान नहीं किया है परंतु उन्होंने इसके शीघ्र भुगतान के लिए वादा किया है। इस प्रकार ये हमारे लिए चिंता का विषय है, परंतु इस दिशा में हम जो प्रयास कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये कोई बहुत बड़ी चिंताजनक स्थिति नहीं है।

वक्ता 1 ठीक है, महोदय, धन्यवाद।

वक्ता 2 एफपीओ का मूल्य 193 रुपए था; पीएफसी का कम मूल्य 132 रुपए था। वर्तमान मूल्य 172 और पीएफसी का क्रम मूल्य 166 रुपए है। मेरा निर्दिष्ट प्रश्न यह है कि निवेशक उस राशि की रक्षा कैसे कर सकता है जो उसके पास है अथवा जो उसने पीएफसी में निवेश किया है, अपने आपको एक निवेशक मानते हुए आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? इसका प्रबंधन आप कैसे करेंगे? पीएफसी निवेशक की किस प्रकार सहायता कर सकता है। आपको नवरत्न का दर्जा प्राप्त है और इसमें पीछे काफी तेजी से गिरावट हुई है। नवरत्न कंपनी होने के बावजूद भी निवेशक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, क्या यह चिंता की बात नहीं है? इस प्रकार एफपीओ के लिए आपके द्वारा निर्धारित की गई दर 132 रुपए हो गई है। ऐसी स्थिति में इसका प्रबंधन कैसे किया जाए? इस संबंध में आपका परामर्श या आपकी सलाह क्या है, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें?

सतनाम सिंह निश्चित रूप से, हम आपको निश्चित रूप से सूचित करेंगे।

वक्ता 2 हमारा मार्गदर्शन करें और पूरे मामले पर प्रकाश डालें।

सतनाम सिंह निश्चित ही। पहली बात मूल्य से संबंधित है, जो मूल्य एफपीओ के लिए उस समय निर्धारित किया गया था वह अधिकांशत: अथवा कमोवेश हमारे वश में नहीं था। उस समय मूल्य का निर्धारण सेवी के नियमानुसार किया गया था और यहां तक कि इसमें सरकार भी शामिल थी। यह एकदम अलग मामला है। अब जो प्रश्न आपने पूछा था, वह यह है कि निवेशक अपने निवेश की रक्षा कैसे कर सकते हैं? इसलिए हमने सबसे पहले ऐसे शेयरधारकों से संपर्क किया जिन्होंने ज्यादा धनराशि का निवेश किया है। हमने उन्हें सूचित किया है कि डिस्कॉम के समक्ष सबसे बड़ी समस्या है। परंतु हमने जो कुछ भी आपको सूचित किया है, क्या इससे आप राहत महसूस नहीं कर रहे हैं? क्या आप यह महसूस नहीं करते हैं कि डिस्कॉम के समक्ष जो समस्याएं हैं वे उतनी गंभीर नहीं हैं, जितना हम सोच रहे हैं?

वक्ता 2 लोगों का धन चला गया है। लोगों की गाढ़ी कमाई उनके पास नहीं रही। क्या आपको यह सुनकर राहत महसूस हो रही है? जैसा कि आप कह रहे हैं कि मूल्य का निर्धारण आपने नहीं किया है। अब ऐसा होता है कि जब कभी भी मूल्य का निर्धारण किया जाता है तो उस समय भी निवेशकों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। निवेशकों की नीति और उनकी भुगतान क्षमता को कभी भी ध्यान में नहीं रखा जाता, उसके साथ हमेशा लूट होती है। अब संपूर्ण स्थिति पर दृष्टिपात करें। जब कभी भी सार्वजनिक उद्यमों के एफपीओ का मूल्य उच्च स्तर पर होता है तो ऐसे मामले में लोग यह सोचते हैं कि भारत सरकार जनता की है, जनता के लिए है फिर भी लोगों की कंपनी द्वारा लोगों को लूटा जा रहा है। यह यथार्थ है। महोदय, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो हर बात में हां में हां करूं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि जो असमति दर्ज कर सकता है। मैं प्रत्यक्ष रूप से सही बात कहता हूं। मैं जो बताना चाहता हूं वह यह है कि सार्वजनिक उपक्रम

लोगों से संबंधित हैं, वे लोगों के लिए हैं। इसके बावजूद भी उनकी अधिक कीमतें निर्धारित की जा रही हैं और लोगों को लूटा जा रहा है और जो मूल्य निर्धारित किया जाता है वह तुलनात्मक रूप से कम होता है। इसका कारण यह है कि लोगों के उच्च वेतन, उनका मंहगाई भत्ता, दैनिक भत्ता और मनोरंजन व्यय आदि का भुगतान कंपनी ही द्वारा किया जाता है।

सतनाम सिंह ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।

वक्ता 2 महोदय, यह सभी को पता है। हर व्यक्ति इसके बारे में जानता है। यह एक सर्वविदित गोपनीयता है।

सतनाम सिंह नहीं, कृपया बैठ जाइए। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। नहीं, पहले मुझे इस वक्ता को संतुष्ट करना चाहिए। हालांकि यह सही है कि एफपीओ मूल्य की तुलना में हमारा मूल्य काफी कम है। इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु आपको किसी भी मुद्दे के संबंध में अलग ढंग से नहीं सोचना चाहिए। जब हमने आईपीओ जारी किया था, मुझे विश्वास है कि आपने उस समय भी निवेश किया होगा। हमने मूल्य निर्धारण 85 रूपए पर किया था और मूल्य वृद्धि 380 रुपए तक हुई। इस प्रकार महोदय उस समय लोगों ने इसके कारण बहुत सा धन अर्जित किया है, यहां तक कि हम सभी लोग भी यह बात जानते हैं। परंतु जो कुछ कह रहे हैं; मंहगाई भत्ता, दैनिक भत्ता, वेतन आदि ये सभी हमारी की प्रशासनिक लागत के अंतर्गत आते हैं। तुलनात्मक रूप से यदि देखा जाए तो भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक आदि सभी की प्रशासनिक लागत 2% है।

वक्ता 2 वे बड़े लुटेरे हैं, वे बहुत बड़े लुटेरे हैं।

सतनाम सिंह एक मिनट रुकें, पहले मेरी बात सुनने का प्रयत्न करें। कृपया पहले मेरी बात सुनें। जारी मूल्य की तुलना में इसके मूल्य में हुई गिरावट इस कारण से नहीं हुई है। उनके लिए ऋण बही में यह लगभग 2% या

उसके आस पास है और यह हमारे लिए 0.12% या 0.13% या उसके आसपास है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह प्रशासनिक लागत अधिक होने के कारण है, और इसीलिए आपको समस्याएं हो रही हैं। ये विद्युत क्षेत्र की प्रमुख दो समस्याएं हैं, जब इस संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देशा जारी किए जाएंगे तो निश्चित रूप से शेयर मूल्य अपने स्वाभाविक स्तर पर आ जाएगा। इस प्रकार यह ऐसा मामला नहीं है जिसके लिए चिंतित हुआ जाए।

वक्ता 2 कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। हम इस परिस्थिति का सामना कैसे करें?

सतनाम सिंह नहीं, आप सभी बेहतर करें, अच्छा खाएं और भरपूर नींद लें, इस जानकारी के साथ कि आपका यह निवेश सुरक्षित है और अन्य निवेश सुरक्षित नहीं है।

वक्ता 2 अब हमें यहां निवेश करना चाहिए या नहीं?

सतनाम सिंह यह आपका व्यक्तिगत निर्णय है। मैंने आपके सामने सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों तथ्यों को प्रस्तुत कर दिया है।

वक्ता 2 आप इतने बड़े अधिकारी हैं, आप अपने आपको शेयरधारक मानकर निर्णय करें और बताएं कि यदि आप शेयरधारक होते तो इस स्थिति में क्या करते?

सतनाम सिंह व्यक्तिगत रूप से मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूं, लेकिन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मुख्य प्रबंधक निदेशक के रूप में मैं ऐसा नहीं कर सकता।

वक्ता 3 महोदय, आप पुन: अवसंरचना बॉण्ड कब जारी करने वाले हैं? एक 4 नवंबर को एक अवसंरचना बॉण्ड पहले पूरा हो गया है। और दूसरी बात यह है कि महोदय, आपका लाभ 4 वर्षों में 1600 करोड़ से भी अधिक के स्तर पर पहुंच गया है। आप कर मुक्त बॉण्ड में केवल 10 पैसा

कमीशन दे रहे हैं। स्थिति क्या होगी, क्या स्थिति कर मुक्त बॉण्ड पर 10 पैसा कमीशन से भी बदतर होगी। आप इसमें वृद्धि क्यों नहीं कर सकते, कृपया उत्तर दें?

सतनाम सिंह यदि धन वृद्धि के उद्देश्य से हम अधिक कमीशन देते हैं तो हम हर व्यक्ति को संतुष्ट कैसे करेंगे, ऐसी स्थिति में हम अधिक लाभांश का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम अधिक कमीशन नहीं देते हैं।

वक्ता 3 महोदय, वहां बहुत से व्यय होते हैं।

सतनाम सिंह नहीं, महानुभाव हम प्रत्येक व्यय को कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

वक्ता 3 आप कृपया मेरी बात सुनें, जहां तक 10 पैसा कमीशन का संबंध है, यदि कोई ब्रोकर 10,000 शेयर के साथ मणिनगर से यहां आता है, तो उसे 200 रूपया अपनी जेब से खर्च करने के साथ साथ 75 रु. प्रति लीटर मूल्य का पेट्रोल खर्च करना पड़ता है, इसकी गणना किस प्रकार की जा सकती है? आप इस संबंध में हमारा सहयोग कैसे कर सकते हैं?

सतनाम सिंह कृपया अपने सहकर्मियों से पूछें कि क्या हमें इस संबंध में कोई स्वतंत्रता है, क्या हम कमीशन देकर अथवा किसी अन्य तरीके से ऋण लागत में वृद्धि कर सकते हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते?

वक्ता 3 जिस प्रकार आप अवसंरचना बॉण्ड को मानते हैं, उसी प्रकार आप इसे भी समझें, आप उसकी तुलना में इसका थोड़ा कम मूल्य निर्धारित कर सकते हैं।

सतनाम सिंह महानुभाव, आपका आशय हर चीज से, कमीशन से या अन्य किसी चीज से है?

वक्ता 3 नहीं, महोदय, 10 पैसा बहुत कम है।

सतनाम सिंह हमें सरकारी शर्तों का पालन करना होता है और केवल इन्हीं के आधार पर ही मूल्य निर्धारण किया जा रहा है।

वक्ता 3 यहां तक कि अहमदाबाद के भिखारी भी दो रुपए से कम लेने से बना कर देते हैं।

सतनाम सिंह हो सकता हैं, यहां भिखारी बड़े अमीर हों।

वक्ता 3 वे लेने से मना कर देते हैं।

सतनाम सिंह महोदय, मुझे बताएं

वक्ता 4 मेरा आधारभूत प्रश्न यह है कि क्या आपको राज्य विद्युत बोर्डों से ऋण की री-स्ट्रक्चरिंग के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है?

सतनाम सिंह नहीं।

वक्ता 4 मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपने अभी बताया कि आपका पीएटी डॉलर के कारण 40% कम है क्योंकि आप इसे हैज नहीं करते हैं। आज कल हर व्यक्ति सुरक्षित निवेश करना चाहता है। डॉलर और ईसीबी, यूरोपी कमीशन, बैंक के पास उभरते हुए देशों के लिए तीन ट्रिलियन का एक्सपोजर है। इसलिए डॉलर 72 से बढ़कर 77 हो गया और हो सकता है कि यह 78 का आंकड़ा भी पार कर जाए। अत: यदि इसमें आगे भी वृद्धि जारी रहती है और यह 80 का आंकड़ा पार कर जाता है तो आप भविष्य में अपना लाभ कैसे सुनिश्चित करेंगे?

सतनाम सिंह यह वैसे ही है, आज जब यूरो संकट चल रहा है, तो यह हर व्यक्ति के लिए और सभी के लिए बड़ी आसान टिप्पणी है कि डालर का मूल्य इसी तरह बढ़ेगा। परंतु जब तक इश्यू जारी नहीं किया गया था, तब तक क्या कोई भी व्यक्ति यह सोंच रहा था कि डालर का मूल्य इस तरह बढ़ेगा?

नहीं, वास्तविक रूप से हमारा विदेशी मुद्रा ऋण हमारे कुल ऋण का लगभग 6 से 7% है और हमारी आंतरिक नीति के अनुसार हमने इसे हैज न करने का निश्चय किया था। क्योंकि 2014 से आगे प्रमुख ऋण मोचन देय हैं। इसलिए यद्यपि दो से तीन वर्ष का समय मिला और हमारे अनुसार यह समय आरंभिक हानि को कम करने के लिए पर्याप्त है। हम मार्च, 2012 तक देखेंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है और किस हम एक सम्मेलन आयोजित करेंगे। हां अवश्य।

वक्ता 5 महोदय, क्या आप यह सोचते हैं कि राज्य विद्युत बोर्डो द्वारा अपने टैरिफ में 20 से 25% की वृद्धि के वर्तमान प्रयास हानियों को कम करने के उद्देश्य से पर्याप्त् हैं अथवा अपनी वित्तीय हालत में सुधार करने के लिए इन्हें कोई अतिरिक्त उपाय करने की आवश्यकता है?

सतनाम सिंह नहीं, निश्चित रूप से कुछ और उपाय करने होंगे। वास्तव में टैरिफ केवल एक मुद्दा है। बहुत लंबे समय तक किसी काम में विलंब करने के बजाय किसी फार्मूला के आधार पर मूल्य वृद्धि के भुगतान के बारे में भी कुछ समस्याएं हैं। डिस्कॉम को राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी के भुगतान संबंधी भी कुछ समस्याएं हैं। चूंकि टैरिफ संशोधित नहीं किया गया है, इसलिए सब्सिडी की राशि की गणना भी बहुत कम की गई है। यदि उन्होंने समय पर टैरिफ का संशोधन किया होता तो सब्सिडी की राशि भी काफी अधिक होती। इसलिए महज टैरिफ बढ़ाने की बजाय ये सभी प्रयास करना भी आवश्यक है। किसी भी मामले में टैरिफ में की गई यह वृद्धि न कुछ से कुछ अच्छा होता है की कहावत को चरितार्थ करता है। अलग ढंग से टैरिफ संशोधन की बजाय यथार्थ डेटा के आधार पर टैरिफ संशोधन की प्रक्रिया लगातार जारी रहनी चाहिए।

वक्ता 5 महोदय, जैसा आपने कहा कि बैंक राज्य विद्युत बोर्डों को अल्पकालिक ऋण नहीं दे रहे हैं और आपने भी हाथ खींच लिया है। आरईसी और आईडीएफसी ने भी यह सूचित किया है कि वे राज्य विद्युत बोर्डों को किसी भी तरह के ऋण नहीं दे रहे हैं तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इससे रि-स्ट्रक्चरिंग अथवा चूक के मामले बढ़ेंगे क्योंकि उन्हें

अल्पकालिक ऋण नहीं मिल रहे हैं और अब उन्हें नकदी की समस्या होगी?

सतनाम सिंह मेरे वाक्य में संभवत: यह भी निहित था, जिसका उल्लेख आप नहीं करना चाहते हैं, मैंने बताया था कि कार्यप्रणाली को अंतिम रूप दिया जाना लंबित है, जिसके आधार पर अल्पकालीन ऋण दिए जाएंगे। हमने केवल उस पर रोक लगाई है। इसका आशय यह नहीं है कि हमने कोई ऐसा निर्णय ले लिया है कि हम आगे से कोई ऋण नहीं देंगे या बैंक भी उन्हें कोई ऋण नहीं देंगे। एक सामान्य कार्यप्रणाली पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें 10 से 15 दिन का समय लग सकता है क्योंकि यह निर्णय पिछले दो या तीन माह पहले ही लिया गया है। इसको अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात राज्य के डिस्कॉम को बैंकों से और हमसे ऋण प्राप्त होने लगेगा।

वक्ता 6 महोदय, एक प्रश्न राष्ट्रीय प्रश्न, भारत कब विद्युत की दृष्टि से आत्मनिर्भर होगा?

सतनाम सिंह भारत कब विद्युत की दृष्टि से आत्मनिर्भर होगा?

वक्ता 6 क्योंकि भारत में से ऐसे राज्य हैं जहां बिजली की कमी है। इसमें दिल्ली भी शामिल है। स्वतंत्रता के पश्चात हम विद्युत की दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हैं। सर्वप्रथम एक विद्वान व्यक्ति होने के नाते मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि भारत विद्युत दृष्टि से कब आत्मनिर्भर बन पाएगा?

सतनाम सिंह मेरा उत्तर यह हो सकता है कि हम वर्तमान में 700 या उसके आसपास यूनिट प्रति व्यक्ति की दर से बिजली की खपत करते हैं, जबकि विश्व स्तर पर यह औसत लगभग 2700 है। वैश्विक स्तर पर आने के लिए हमें अपनी क्षमताओं में चार गुना वृद्धि करनी होगी और इसके लिए भारी मात्रा में निधियों की आवश्यकता होगा जो हमारे पास नहीं है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि भारत कब इस क्षेत्र में आत्म निर्भर होगा, कोरा अनुमान हो सकता है। जब कभी हमारी क्षमताओं में चार गुना वृद्धि

करने के लिए हमारे पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होगी तो हम विद्युत की दृष्टि से भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे।

वक्ता 6 महोदय, तो क्या आपका आशय यह है कि हम कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते?

सतनाम सिंह नहीं, यह एक दशक में हो सकता है, इसमें पांच दशक भी लग सकते हैं। यह सभी हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। जी महोदय, और कुछ नहीं।

वक्ता 7 जैसा आपने बताया है कि आप परमाणु ऊर्जा प्लांट लगाने वाले हैं परंतु अभी हाल ही में हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि मौजूदा दो परमाणु ऊर्जा प्लांटों के विस्तार को लेकर भारी विरोध किया जा रहा है और आपके समक्ष जापान का भी उदाहरण मौजूद है। अत: क्या आप यह सोचते हैं कि यह उपयुक्त समय है जब आपको परमाणु ऊर्जा प्लांट की स्थापना पर रोक लगा देनी चाहिए?

सतनाम सिंह महानुभाव, हम परमाणु ऊर्जा प्लांट की स्थापना के बारे में निर्णय नहीं ले रहे हैं। न्युक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, जो न्युक्लियर पावर स्टेशनों का क्रियान्वयन कर रहा है, वह सरकार की सहमति के बिना ऐसा नहीं कर सकता। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार से अनुमति मिल जाने पर ही हम यह कह रहे हैं कि उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए यह ऐसा कोई अकेले में लिया गया निर्णय नहीं है कि हम जापान की घटना या किसी अन्य घटना के आधार पर वित्तीय सहायता देने या न देने का फैसला करेंगे। अत: हम सरकार सरकार के निर्णय के अनुसार आगे बढ़ेंगे अन्यथा नहीं। क्या कोई और प्रश्न पूछना चाहता है?

वक्ता 8 मेरा आधारभूत प्रश्न यह है कि वर्तमान में इण्डोनेशियाई कोयला 120 डालर प्रति टन की दर से आयात किया जा रहा है। अत: क्या आप यह सोचते हैं कि इस यूएमपीपी के लिए जिन्होंने 2-4 रुपए के आसपास की

दर उद्धृत की है वे परियोजना का कार्यान्वयन कैसे कर सकेंगे?

सतनाम सिंह वे परियोजना का कार्यान्वयन कर सकेंगे।

वक्ता 8 जी हां,

सतनाम सिंह यह ठीक वैसा ही है कि यूएमपीपी का अधिनिर्णय आयातित कोयले के आधार पर किया गया, ईंधन के मद में लागत वृद्धि संबंधी मानदंडों का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाता है। उस समय बोली की तारीख से ठीक एक सप्ताह पहले मानदण्ड दिए गए और विकासकर्ता वर्तमान संगत मानदण्डों के आधार पर क्षतिपूर्ति के लिए पात्र है। वर्तमान में यदि उन मानदण्डों से लागत अंतर के लिए विकासकर्ता को पूरी क्षतिपूर्ति नहीं की जाती है, तो उन मानदण्डों पर पुन: विचार करने की आवश्यकता है अन्यथा ईंधन मद में लागत वृद्धि की क्षतिपूर्ति के लिए ढांचा उपलब्ध है।

वक्ता 8 महोदय, जैसा कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यूएमपीपी के लिए एक नोडल एजेंसी है और एक रिलायंस यूएमपीपी भी है जो गैस आधारित पावर प्लांट है, अत: क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि गैस की भी कमी है?

सतनाम सिंह गैस आधारित कोई भी यूएमपीपी नहीं है। हमने जिन चार यूएमपीपी का अधिनिर्णय कर दिया है और एक जिसका हम अधिग्रहण करने वाले हैं सभी कोयला आधारित यूएमपीपी हैं। आज की स्थिति के अनुसार गैस आधारित यूएमपीपी के निर्माण के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

वक्ता 9 महोदय, परिसंपत्ति वृद्धि पर शेष वर्ष और वित्त वर्ष 2013 के लिए आपका क्या दृष्टिकोण है, यह कैसा रहने वाला है, क्या आप इसे 20-25% तक बनाए रखेंगे?

सतनाम सिंह सर्वप्रथम मुझे बताएं कि क्या इस संदर्भ में मुझे मार्गदर्शन करना

चाहिए? परंतु जब आपने यह प्रश्न पूछ ही लिया है तो हमारा वार्षिक संवितरण लक्ष्य लगभग 35000 करोड़ रूपए है। चूंकि 30 सितंबर की स्थिति के अनुसार हमारी बकाया मंजूरियां लगभग 1,79000 करोड़ रूपए हैं, जो कि बहुत अच्छा संकेत है कि हम वृद्धि दर को बनाए रखने में सफल होंगे, जिसके आधार पर हम पिछले दो से तीन वर्षों से बेहतर निष्पादन भी करते आ रहे हैं। विगत वर्ष से पूर्व वर्ष में हमारी वृद्धि दर 24% थी, पिछले वर्ष उससे अधिक 25% थी। वर्तमान वर्ष में भी उससे अधिक 26% रहने की संभावना है। इस प्रकार आपको यह देखना है कि इतनी बकाया मंजूरियों के बावजूद भी हम इसे बनाए रखने में सफल होंगे अथवा नहीं।

वक्ता 9 और महोदय क्या विस्तार भी वर्तमान स्तर पर बनाए रखा जाएगा?

सतनाम सिंह आपने क्या कहा?

वक्ता 9 विस्तार

सतनाम सिंह विस्तार, विस्तार के बारे में तो मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया है। यह सामान्य विस्तार की तुलना में 2.5% कम है क्योंकि इनके बीच बहुत अंतर है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक अपनी दरों में कभी वृद्धि करता रहता है जिसके कारण हमारी ऋण लागत उसी दिन से बढ़ जाती है। यद्यपि हमारे यहां ऐसी व्यवस्था मौजूद है कि हम उस वृद्धि का बोझ अपने ऋणकर्ताओं पर डाल सकते हैं परंतु हम अपने ऋणकर्ताओं पर यह बोझ दैनिक आधार पर नहीं डाल सकते हैं। हमें यह कार्य ढांचागत ढंग से तिमाही आधार पर करना पड़ता है इसलिए इसमें कुछ समय लग जाता है। आरबीआई द्वारा यदि ब्याज दर में नियमित आधार पर की जाने वाली वृद्धि बंद कर दी जाती है तो हमारा विस्तार भी उसी स्तर पर वापस आ जाएगा।

वक्ता 10 महोदय, आपके ऋण की समयावधि क्या है?

सतनाम सिंह नहीं, हम अलग अलग अंतराल एक वर्ष, पांच वर्ष, सात वर्ष, 10 वर्ष और 15 वर्ष की अवधि के लिए ऋण लेते हैं।

मॉडरेटर क्या आपके कोई और प्रश्न हैं?

सतनाम सिंह धन्यवाद।

मॉडरेटर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ओर से मैं आप सभी को इस निवेशक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूं। कृपया हमारे साथ जलपान ग्रहण करें। धन्यवाद।

नोट :

1. पठनीयता में सुधार करने की दृष्टि से इस दस्तावेज का संपादन किया गया है।
2. इस ट्रांस्क्रिप्ट में छोड़े गए खाली स्थान उन शब्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सुनाई नहीं दिए अथवा बोधगम्य नहीं हैं।